भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 470
दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण

***470. श्रीमती मंजू शर्माः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत राज्य के हिस्से की धनराशि जारी किए जाने में विलंब की समस्या के समाधान के लिए कोई प्रभावी वित्तीय प्रबंधन तंत्र स्थापित करने का विचार है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 03.04.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *470 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): राज्य के हिस्सों को जारी करने में होने वाले विलंब की समस्या का समाधान करने के लिए, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत निधियों को समय पर जारी करने हेतु एक नई प्रणाली शुरू की है, जिसे एकल नोडल खाता - समयोचित प्रणाली शीघ्र हस्तांतरण [एसएनए-स्पर्श] कहा जाता है जो आरबीआई की ई-कुबेर प्रणाली और राज्यों की एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के साथ जुड़ी हुई है। इस नई प्रणाली में, केन्द्रीय अंश के संबंध में मूल स्वीकृति जारी करके राज्यों के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में निधियां आबंटित की जाती हैं। राज्य सरकार को आनुपातिक राज्य हिस्सेदारी (इस प्रणाली को शामिल करने के समय राज्य के लिए पहले से ही परिभाषित) के लिए प्रावधान करना होगा ताकि इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों को नई प्रणाली में भुगतान फाइलों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक भुगतान फाइल के लिए तदनुरूपी केन्द्रीय अंश हेतु राज्य सरकार से प्राप्त भुगतान फाइलों के अनुसार दैनिक आधार पर स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है जिसे बाद में राज्य के हिस्से के अनुरूप वास्तविक समय पर आशयित लाभार्थियों/कार्यरत एजेंसियों को अदा कर दिया जाता है। अत: इस नई प्रणाली में राज्य के हिस्से को जारी करने में कोई विलंब नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकारों को मूल स्वीकृति के लिए अग्रिम रूप से राज्य के हिस्से का प्रावधान करना होता है और समतुल्य राज्य के हिस्से के साथ वास्तव में निधियां जारी की जाती हैं।

*****